

न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी - दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या -16/2017

वादीगण :-

1. हिमाराम पुत्र नवाराम
2. किसनाराम पुत्र नवाराम
3. जेताराम पुत्र नवाराम
4. श्रीमती सुबटीदेवी पत्नी स्व. नवाराम
कौम कलबी साकिनान सीकवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अमराराम पुत्र कमाजी कौम कलबी साकिन सीकवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
2. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रामसीन तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा जिला जालोर

दावा बाबत बंटवाडा खातेदारी भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा
53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 21.3.18

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2017 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा रामसीन के खसरा नम्बर 767 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 768 रकबा 0.13 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 769 रकबा 3.61 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम चाही दोयम, खसरा नम्बर 866 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 867 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 872 रकबा 5.40 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम चाही प्रथम कुल रकबा 9.33 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौके एवं माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स रास्ते की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए विभाजन किया जाकर विभाजन के प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए लगान आदि निश्चित कर तहसीलदार जसवंतपुरा स से चाहे जाने पर तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :-

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
767	0.01	गै.मु. बैरा	-	हरा
768	0.13	गै.मु. सडा	-	
769	1.735	चा.दो. 0.835 जा.दो. 0.90	25.05 9.00	
866	0.01	गै.मु. बैरा	-	
867	0.10	गै.मु. सडा	-	
872	1.28	चा.प्र. 1.26	50.40	

सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा
जिला जालोर (राज.)

872	1.33	जा.प्र. 0.02	0.26	
		चा.प्र. 1.30	52.00	
871	0.07	जा.प्र. 0.03	0.39	
		गै.मु. रास्ता	—	
8	4.665		137.10	
प्रतिवादी अमराराम पुत्र नवाराम कौम कलबी साकिन सीकवाडा के हिस्से में				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
769	1.875	चा.दो. 0.955	28.65	लाल
		जा.दो. 0.92	9.20	
872	1.28	चा.प्र. 1.26	50.40	
		जा.प्र. 0.02	0.26	
872	1.51	चा.प्र. 1.48	59.20	
		जा.प्र. 0.03	0.39	
3	4.665		148.10	

उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई उजर आपति लिखित में या मौखिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले में उक्त विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। फलस्वरूप विभाजन की अंतिम डिक्री तहसीलदार जसवंतपुरा के विभाजन प्रस्ताव अनुसार एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत किसी प्रकार की उजर आपति प्राप्त नहीं होने से विभाजन की अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :-

वादी हिमाराम किसनाराम जेताराम पि. नवाराम सुबटी देवी पत्नी नवाराम कौम कलबी साकिन सीकवाडा				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
767	0.01	गै.मु. बेरा	—	हरा
768	0.13	गै.मु. सडा	—	
769	1.735	चा.दो. 0.835	25.05	
		जा.दो. 0.90	9.00	
866	0.01	गै.मु. बेरा	—	
867	0.10	गै.मु. सडा	—	
872	1.28	चा.प्र. 1.26	50.40	
		जा.प्र. 0.02	0.26	
872	1.33	चा.प्र. 1.30	52.00	
		जा.प्र. 0.03	0.39	
871	0.07	गै.मु. रास्ता	—	
8	4.665		137.10	
प्रतिवादी अमराराम पुत्र नवाराम कौम कलबी साकिन सीकवाडा के हिस्से में				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
769	1.875	चा.दो. 0.955	28.65	लाल
		जा.दो. 0.92	9.20	
872	1.28	चा.प्र. 1.26	50.40	

सहायक कलक्टर, जसवंतपुरा

872	1.51	जा.प्र. 0.02 चा.प्र. 1.48 जा.प्र. 0.03	0.26 59.20 0.39	
3	4.665		148.10	

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान के बंट में आई आराजी के हिस्से व कब्जे कास्त में एक दुसरे में दखल अंदाजी नहीं करे एवं नहीं किसी से करावे। तहसीलदार जसवंतपुरा को माफिक निर्णय तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-3-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

De

(दौलतराम चौधरी)

सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा
सहायक कलेक्टर
जिला-जालोर (राज.)
जसवंतपुरा

